| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 18/03/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वास्ते मजीद बहस पत्रावली दिनांक 09/04/25 को पेश हो।<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई (दौसा) |
| 9/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वादपत्र पर वादीगण वकील मजीद बहस सुनी। वादीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा उपखण्ड इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature] 9/5/25 |

# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 191/2023
प्रकरण दायर दिनांकः—30.11.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः—09.04.2025

## उनवान

1. विद्याधर पुत्र मूल्या
2. रामकुवांर पुत्र मांग्या (फौत) के स्थान पर
   2/1 बनवारी पुत्र रामकुंवार
   2/2 रामेश्वर पुत्र रामकुंवार
   2/3 हरिसिंह पुत्र रामकुंवार
   2/4 बनारसी पुत्री रामकुंवार
   2/5 केसन्ता पुत्री रामकुंवार
   2/6 गोमती पत्नी रामकुंवार
3. बाबूलाल
4. गोकुल — पुत्रान मांग्या
5. कैलाश
6. मु. गुल्ली पत्नी मोहनलाल
7. प्रकाश — पुत्रान मोहनलाल
8. श्रवण
9. प्रभु पुत्र रामधन
10. गिर्राज — पुत्रान घीस्या
11. गोपाल
12. मुरारी पुत्र मेघा
13. मु. प्रभाती पत्नी कल्याण
14. रतनलाल
15. राजू — पुत्रान कल्याण
16. रामकेश
17. ममता पुत्री कल्याण
18. मिश्रीलाल पुत्र धम्मन
19. मु. केसर पत्नी बिरदया
20. महेश
21. छगनलाल — पुत्रान बिरदया
22. शुक्कल
23. सुनिता बाई पुत्री बिरदया

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

24. परत्या
25. घनश्याम — पुत्रान छाज्या
26. मोती
27. सीताराम
28. मु. छोटी पत्नी छोट्या
29. भल्लू
30. हनुमान — पुत्रान छोटया
31. रमेश
32. शिम्भू
33. नरेश
34. मंजू पुत्री छोटया
35. मु. कैलाशी पत्नी रामकिशन
36. महेन्द्र पुत्र रामकिशन
37. अनिल पुत्र रामकिशन
38. मुन्ना पुत्र रामकिशन
39. कैलाश पत्नि कमलेश
40. राजन्ती पत्नि रमेश

समस्त जाति माली निवासी बैसला का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

**बनाम**

1. रामजीलाल
2. रामस्वरूप — पुत्रान भौरया
3. किशोर
4. गोपी पुत्र धोकल्या
5. मु. उगन्ती पत्नी लल्लू
6. नानगा पुत्र लल्लू
7. हजारी पुत्र मेघा

समस्त जाति माली निवासी बैसला का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
9. यूकों बैंक शाखा बडियाल कलां जरिये व्यवस्थापक, यूर्को बैंक शाखा बडियाल कलां।
10. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा बांदीकुई जरिये व्यवस्थापक, इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा बॉदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

# दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण द्वारा वाद दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि ग्राम बैंसला का बास पटवार हल्का मूंडधिस्या तहसील बांदीकुई जिला दौसा की खाता सं. नया 49 पुराना 45 के आराजी खसरा नं. 305 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 326 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 328 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 331 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 332 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 333 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 334 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नं. 337 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 338 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 355 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 356 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 357 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 358 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर स्थित है। भूमि ग्राम बैंसला का बास पटवार हल्का मूंडधिस्या तहसील बांदीकुई जिला दौसा की खाता सं. नया 27 पुराना 24 के आराजी खसरा नं. 318 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 319 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 320 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 321 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 322 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नं. 323 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 324 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 325 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर स्थित है। भूमि ग्राम बैंसला का बास पटवार हल्का मूंडधिस्या तहसील बांदीकुई जिला दौसा की खाता सं. नया 48 पुराना 44 के आराजी खसरा नं. 359 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 360 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 361 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर स्थित है। वाद के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसके तत्कालीन खातेदार कालू, जीवा, चूरया उर्फ भूरया खातेदार काश्तकार रहे है तथा उसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्तकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

चूरया उर्फ भूरया के वारिसान द्वारा अपने हक की भूमि का वादीगण सं. 10 लगायत 38 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.09.1997 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर कब्जा मौके पर चूरया उर्फ भूरया के हिस्सा 1/3 को वादीगण सं. 10 लगायत 38 के पूर्वज धीस्या, हजारी, मुरारी पिता मेघा हिस्सा 1/3, कल्याण, मिश्रीलाल, बिरदया पिता धम्मन हिस्सा 1/3, परत्या, घनश्याम, मोती, सीताराम पिता छाज्या हिस्सा 1/6, छोट्या पुत्र नहन्या हिस्सा 1/6 के अनुसार अपने हिस्से का बेचान कर उक्त केतागणों का मौके पर कब्जा करा दिया था तथा उसी अनुसार वादीगण सं. 10 लगायत 38 वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि पर 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। नकल विकय पत्र दिनांक 02.09.1997 पेश है। वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा जीवा का रहा है, जीवा के दो पुत्र थे हेता व रामधन जो भूमि वादग्रस्त में सम्मिलित 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहे है किन्तु वाद पत्र के पैरा नं. 01 व 02 में वर्णित भूमि जो जीवा के कब्जे व स्वामित्व की भूमि रही है तथा जीवा की मृत्यु के बाद जीवा के पुत्र हेता व रामधन खातेदार काश्तकार रहे है, किन्तु हेता जीवा का बड़ा पुत्र व कर्ता खानदान होने से पैरा नं. 01 व 02 में वर्णित भूमि की खातेदारी का इन्द्राज हेता पुत्र जीवा के अकेले के नाम कर दिया, जबकि रामधन भी बराबर का हिस्सेदार है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। जीवा का खसरा पेश है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

इस प्रकार जीवा की मृत्यु के बाद वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में मुताबिक सिजरा पक्षकारान काबिज है तथा वादी सं. 01 हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार है एवं वादी सं. 02 लगायत 05 का प्रत्येक का हिस्सा 1/48–1/48 हैं एवं वादी सं. 06 लगायत 08 प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 है तथा वादी सं. 09 का हिस्सा 1/12 है। इसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है किन्तु भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से पैरा नं. 01 व 02 में वादीगण सं. 06 लगायत 09 का नाम हजफ कर दिया एवं पैरा नं. 03 में वर्णित भूमि में हिस्सा गलत दर्शित कर दिया, जिसको वादीगण अपने मुताबिक सिजरा तथा मुताबिक भू–प्रबन्ध से पूर्व की स्थित अनुसार जीवा का हिस्सा 1/3 के अनुसार वादीगण सं. 01 लगायत 09 जमाबन्दी में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उसी अनुसार राजस्व जमाबन्दी में अपने हक की उद्घोषणा कराने के अधिकारी है। वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 बाल्या पुत्र काल्या के वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है बाल्या पुत्र काल्या का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा रहा है। बाल्या पुत्र काल्या का सिजरा पेश है। बाल्या पुत्र काल्या वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में बाल्या पुत्र काल्या का हिस्सा 1/3 रहा है तया बाल्या पुत्र काल्या के प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है तथा 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा खाता सं. 27 में प्रतिवादीगण के पूर्वज बालू उर्फ बाल्या पुत्र काल्या का जमाबन्दी में इन्द्राज हो रहा है। किन्तु बालू उर्फ बाल्या की मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 मुताबिक सिजरा खातेदार काश्तकार है तथा विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है। जिनका इन्द्राज जमाबन्दी मुताबिक सिजरा हो रहा है किसी प्रकार की कोई दुरुस्ती प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 से नहीं चाही गई है।

मोठ्या पुत्र चूरया उर्फ भूरया का वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में हिस्सा 1/3 रहा है। जिसका इन्द्राज साबिक जमाबन्दी में हो रहा है। मोठ्या पुत्र चूरया उर्फ भूरया के पुत्र नथ्या की पत्नी व पुत्रो द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 लगायत 38 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.09.1997 को बेचान कर दिया। जिसमें चूरया उर्फ भूरया के वारिसान ने अपना 1/3 हिस्से में से प्रतिवादीगण सं. 10, 11 के पिता घीस्या एवं प्रतिवादी सं. 07 हजारी एवं वादी सं. 12 ने सम्मिलित हिस्सा 1/3 में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1/9 हिस्सा क्रय किया था जिसमें प्रतिवादी सं. 01 अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी सं. 10 लगायत 12 को बेचान कर दिया। जिससे वादी सं. 10, 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 का हिस्सा है एवं वादी सं. 12 का हिस्सा 1/18 है एवं वादी सं. 13 के पति एवं वादी सं. 14 लगायत 17 के पिता कल्याण एवं वादी सं. 18 मिश्रीलाल एवं वादी सं. 19 के पति एवं वादी सं. 20 लगायत 23 के पिता बिरदया ने संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1/3 अर्थात हिस्सा 1/9 क्रय किया था जिसमें वादीगण सं. 13 लगायत 17 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–/135 एवं वादी सं. 18 का हिस्सा 1/27 एवं वादी सं. 19 लगायत 23 का हिस्सा 1/135–1/135 रहा हैं एवं वादी सं. 24 लगायत 27 का हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1/6 क्रय करने से प्रत्येक वादी सं. 24 लगायत 27 का 1/72–1/72 हिस्सा रहा है एवं वादी सं. 28 लगायत 34 के पिता/पति/दादा/ससुर छोट्या पुत्र नहन्या ने 1/3 में से 1/6 हिस्सा क्रय करने से हिस्सा सम्पूर्ण भूमि में 1/18 रहा है तथा उसी अनुसार वादीगण सं. 10 लगायत 38 ने भूमि क्रय कर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादीगण सं. 10 लगायत 38 का गलत हिस्सा दर्शित कर दिया। जिसको वादीगण अपने वास्तविक हिस्से अनुसार दुरूस्त कराने के अधिकारी है सिजरा केतागण का पेश है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में पक्षकारान के हिस्से कम–ज्यादा कर दिये तया जीवा के पुत्र रामधन के वारिसान वादीगण सं. 06 लगायत 09 का खाता सं. 48 में हिस्से का गलत इन्द्राज कर दिया एवं खाता सं. 49 एवं खाता सं. 27 में वादीगण सं. 06 लगायत 09 का नाम हजफ कर अन्य वादीगणों के हिस्से में इन्द्राज कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 01 हजारी पुत्र मेघा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण सं. 10 लगायत 12 को भूमि का बेचान कर सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण सं. 10 लगायत 12 का कब्जा करा दिया, जिसमें खाता सं. 48 एवं खाता सं. 49 की भूमि का इन्द्राज वादीगण सं. 10 लगायत 12 के नाम इन्द्राज हो गया। किन्तु खाता सं. 27 में अभी प्रतिवादी सं. 07 के नाम का इन्द्राज हो रहा है जिसका नाम जमाबन्दी से हजफ कर प्रतिवादी सं. 07 का हिस्सा मुताबिक सिजरा वादीगण सं. 10 लगायत 12 के नाम किया जाना आवश्यक है। इस हेतू वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की दिनांक 01.10.2023 को जानकारी होने पर वादीगण द्वारा नकल रिकार्ड प्राप्त कर हल्का पटवारी से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु कहा तो हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय से आदेश प्राप्त करने पर ही दुरूस्ती हेतु कहने से श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में वादीगण सं. 01 लगायत 09 व 10 लगायत 38 का जमाबन्दी में जो गलत हिस्सा दर्शित कर रखा है एवं वादीगण सं. 06 लगायत 09 का वाद पत्र के पैरा नं. 01 व 2 में हिस्सा दर्शित नही है उसमें वादीगण सं. 06 लगायत 09 को मुताबिक सिजरा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीगण सं. 01 लगायत 09 व वादीगण सं. 10 लगायत 38 का जमाबन्दी में गलत हिस्सा दर्ज है उसको दुरूस्त कर वादी सं. 01 का जमाबन्दी में हिस्सा 1/12 एवं वादीगण सं. 02 लगायत 05 का प्रत्येक का हिस्सा 1/48–1/48 एवं वादीगण सं. 06 लगायत 08 प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 एवं वादीगण सं. 09 का हिस्सा 1/12 एवं वादीगण सं. 10 व 11 का हिस्सा प्रत्येक का 1/36–1/36 एवं वादीगण सं. 12 का हिस्सा 1/18 एवं वादीगण सं. 13 लगायत 17 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–1/135 एवं वादीगण सं. 18 का हिस्सा 1/27 एवं वादीगण सं. 19 लगायत 23 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–1/135 एवं वादीगण सं. 24 लगायत 27 का प्रत्येक का हिस्सा 1/72–1/72 एवं वादीगण सं. 28 लगायत 38 का सम्मिलित हिस्सा 1/18 रूस्त किया जाकर उसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व भिलेख जमाबन्दी में हिस्से अनुसार इन्द्राज किया जावे। इसलिए दावा इन्द्राज दुरूस्ती व उद्घोषणा है।

वादीगण सं. 06 लगायत 09 के पिता/पति मोहन पुत्र रामधन की मृत्यु हो चुकी है जिसका ज खाता सं. 48 में मोहन पुत्र रामधन का हो रहा है जिसके वादीगण सं. 06 लगायत 09 वैध नेधि उत्तराधिकारी है एवं वादीगण सं. 28 लगायत 38 के पिता/पति/दादा/ससुर छोट्या पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वादीगण सं. 28 लगायत 38 वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है। लत इन्द्राज की आड में पक्षकारान अपनी भूमि को कर्नवजन आदि या अन्य कार्य हेतु उपयोग ले पा रहे है तथा उक्त गलत इन्द्राज की आड में पक्षकारान में भविष्य में विरोध होने की ना को देखते हुए पक्षकारान द्वारा उपरोक्त भूमि का गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाना आवश्यक राज्य सरकार के विरूद्ध दावा लाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाना जरूरी है, लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी सं. 08 को धारा 80 का नोटिस दिया जाता है तो इस अवधि में प्रतिवादीगण सं. 07 अवैध रूप से भूमि को दीगर

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रभावशाली लोगो को बेचान कर वादीगण को भूमि वादग्रस्त से जबरन बेदखल कर देगे। ऐसी सूरत में धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए धारा 80 सीपीसी के तहत बिना नोटिस दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः दावा वादीगण वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी पारित फरमाया जावे कि भूमि ग्राम बैसला का बास पटवार हल्का मूडधिस्या तहसील बांदीकुई जिला दौसा की खाता सं. नया 49 पुराना 45 के आराजी खसरा नं. 305 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 326 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 328 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 331 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 332 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 333 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 334 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नं. 337 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 338 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 355 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 356 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 357 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 358 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर एवं खाता सं. नया 27 पुराना 24 के आराजी खसरा नं. 318 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 319 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 320 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 321 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 322 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नं. 323 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 324 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 325 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर तथा खाता सं. नया 48 पुराना 44 के आराजी खसरा नं. 359 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 360 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 361 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर में वादीगण सं. 01 लगायत 09 व 10 लगायत 38 का जमाबन्दी में जो गलत हिस्सा दर्शित कर रखा है एवं वादीगण सं. 06 लगायत 09 का वाद पत्र के पैरा नं. 01 व 2 में हिस्सा दर्शित नही है उसमें वादीगण सं. 06 लगायत 09 को मुताबिक सिजरा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीगण सं. 01 लगायत 09 व वादीगण सं. 10 लगायत 38 का जमाबन्दी में गलत हिस्सा दर्ज है उसको दुरूस्त कर वादी सं. 01 का जमाबन्दी में हिस्सा 1/12 एवं वादीगण सं. 02 लगायत 05 का प्रत्येक का हिस्सा 1/48–1/48 एवं वादीगण सं. 06 लगायत 08 प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 एवं वादीगण सं. 09 का हिस्सा 1/12 एवं वादीगण सं. 10 व 11 का हिस्सा प्रत्येक का 1/36–1/36 एवं वादी सं. 12 का हिस्सा 1/18 एवं वादीगण सं. 13 लगायत 17 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–1/135 एवं वादी सं. 18 का हिस्सा 1/27 एवं वादीगण सं. 19 लगायत 23 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–1/135 एवं वादीगण सं. 24 लगायत 27 का प्रत्येक का हिस्सा 1/72–1/72 एवं वादीगण सं. 28 लगायत 38 का सम्मिलित हिस्सा 1/18 दुरूस्त किया जाकर उसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में हिस्से अनुसार इन्द्राज किया जावे। तथा वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वे स्वयं, उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, फसल बोते व काटते समय विवाद करने से, तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे व भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन, बय नही करे व किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र क्रमांकः 1320 दिनांकः 22.03.

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई। साक्ष्यवादी शपथ पत्र गोकुल पुत्र मॉग्या एवं मिश्रीलाल पुत्र के पेश किये गये। दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। वादपत्र पर वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2075–78 खाता सं. नया 49 पुराना 45 ग्राम बैंसला का बास, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2075–78 खाता सं. नया 27 पुराना 24 ग्राम बैंसला का बास, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2075–78 खाता सं. नया 48 पुराना 44 ग्राम बैंसला का बास, प्रदर्श–4 "ए" विकय पत्र, प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–71, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–71, प्रदर्श–7 भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी, प्रदर्श–8 भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी, प्रदर्श–9 भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी, प्रदर्श–10 साबिका जमाबंदी संवत 2047–52, प्रदर्श–11 साबिका जमाबंदी संवत 2047–52, प्रदर्श–12 खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–22, प्रदर्श–13 खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–22, प्रदर्श–14 खतौनी बंदोबस्त संवत 2008–22, प्रदर्श– 15 लगायत 18 खसरा गिरदावरी संवत 2018–2034 एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस वादीगण वकील पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातों व तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न उपतहसीलदार बडियाल कलॉ रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि भूमि ग्राम बैसला का बास पटवार हल्का मूडधिस्या तहसील बांदीकुई जिला दौसा की खाता सं. नया 49 पुराना 45 के आराजी खसरा नं. 305 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 326 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 328 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 331 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 332 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 333 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 334 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नं. 337 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 338 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 355 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 356 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 357 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 358 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर एवं खाता सं. नया 27 पुराना 24 के आराजी खसरा नं. 318 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 319 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 320 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं. 321 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 322 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नं. 323 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 324 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 325 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर तथा खाता सं. नया 48 पुराना 44 के आराजी खसरा नं. 359 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 360 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 361 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर में वादीगण सं. 01 लगायत 09 व 10 लगायत 38 का जमाबन्दी में जो गलत हिस्सा दर्शित कर रखा है एवं वादीगण सं. 06 लगायत 09 का वाद पत्र के पैरा नं. 01 व 2 में हिस्सा दर्शित नही है उसमें वादीगण सं. 06 लगायत 09 को मुताबिक सिजरा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस प्रकार वादीगण सं. 01 लगायत 09 व वादीगण सं. 10 लगायत 38 का जमाबन्दी में गलत हिस्सा दर्ज है उसको दुरूस्त कर वादी सं. 01 का जमाबन्दी में हिस्सा 1/12 एवं वादीगण सं. 02 लगायत 05 का प्रत्येक का हिस्सा 1/48–1/48 एवं वादीगण सं. 06 लगायत 08 प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 एवं वादीगण सं. 09 का हिस्सा 1/12 एवं वादीगण सं. 10 व 11 का हिस्सा प्रत्येक का 1/36–1/36 एवं वादी सं. 12 का हिस्सा 1/18 एवं वादीगण सं. 13 लगायत

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

17 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–1/135 एवं वादी सं. 18 का हिस्सा 1/27 एवं वादीगण सं. 19 लगायत 23 का प्रत्येक का हिस्सा 1/135–1/135 एवं वादीगण सं. 24 लगायत 27 का प्रत्येक का हिस्सा 1/72–1/72 एवं वादीगण सं. 28 लगायत 38 का सम्मिलित हिस्सा 1/18 दुरूस्त किया जाकर उसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में हिस्से अनुसार इन्द्राज किया जावे। तथा वाद पत्र के पैरा नं. 01 लगायत 03 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे, फसल बोते व काटते समय विवाद नहीं करे, तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे व भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन, बय नही करे व किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करे। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

9/4/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner